38/5.10

संख्या— /XV-3/2017-08 (01)/2016

प्रेषक,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–03 (मत्स्य) देहरादूनः दिनांक 03 अक्टूबर सितम्बर, 2017

विषय— **जनपद देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी व बागेश्वर की नदियों में एंग्लिंग लाईसेन्स हेतु लॉटरी माध्यम से चिन्हित बीटों के आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन की स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3936/बीट आवंटन/2017–18, दिनांक 22 अगस्त, 2017 के क्रम में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त जनपद देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, पौडी एवं बागेश्वर की चयनित नदियों के चिन्हित जोन के प्रस्तावित 62 बीटों में जन सहभागिता से पर्यटन को बढावा देने हेतु एंग्लिंग कार्यक्रम के संचालन किये जाने की स्वीकृति निर्गत किये जाने विषयक शासनादेश संख्या–459/XV-3/2016-08(01)/2016, दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर–1 के बिन्दु संख्या–1 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मत्स्य नियमावली के अनुसार इको टूरिज्म को बढ़ावा देने वाले ट्राउट/महाशीर एंग्लिंग कार्यक्रम को स्थानीय रूप से गठित महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, स्वयं सहायता समूह, मत्स्य जीवी सहकारी समिति के अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर अन्य प्राविधानों के तहत गठित समितियां/सोसाईटी आदि से भी आवेदन प्राप्त करने के उपरान्त सूचीबद्ध कर लॉटरी प्रक्रिया से बीट आंवटित किये जाने एवं एकल आवेदन प्राप्ति की स्थिति में शासन की सहमति के उपरान्त बीट आंवटित किये जाने की कार्यवाही की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2— उक्त शासनादेश दिनांक 21.12.2016 का प्रस्तर–1 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या–44(1)/XV-3/2017-08(01)/2016(बजट),तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पर्यटन विकास परिषद, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
6. अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बी०एम० मिश्र)
अपर सचिव